FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्रीमती गीताबाई	**बनाम**	सरकार जरिये तहसीलदार धरियावद

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 01/2020 प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
19.08.2020	वकिल अपीलांट व रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षों की सुनी गई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक अपीलांट की इस न्यायालय में लम्बित अपील 08/2018 गीता बनाम सरकार अपीलांट एवं अधिवक्ता के उपस्थित नही होने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 को उक्त अपील संख्या 08/2018 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई अपीलांट द्वारा उक्त अपील के अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 27.03.2019 को खारिज करने के संदर्भ में रेस्टोरेशन का आवेदन अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में 17.02.2020 को सशपथ दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन के साथ पेश किया अपील रेस्टोरेशन की मयाद 1 माह होती है तथा अपीलांट प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन यह आवेदन बेरून मयाद पेश किया गया है तथा दफा 5 जाप्ता मयाद आवेदन में उसके द्वार स्वयं व उसके पति के 90 वर्ष की उपर की आयु होने व संतान भी योग्य नही होने तथा अधिवक्ता के उचित पैरवी नही होने के कारण अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होना बताया। अपीलांट के उक्त आवेदन, अखण्डित शपथ पत्र, वर्णित परिस्थितयों एवं न्यायहित में आवेदन रेस्टोरेशन 1100/- (एक हजार एक सौ रूपये मात्र) कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय की एक प्रति केशियर कार्यालय हाजा को भेज कर कोस्ट राशि जमा कर अधिवक्ता/प्रार्थी को रसीद दी जावें। रसीद मय आवेदन प्राप्त होने पर मूल अपील संख्या 08/2018 पुनः नवीन नम्बर से दर्ज की जावें रस्टोरेशन आवेदन की पत्रावली मूल अपील के साथ संलग्न है। मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया। अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		